प्रेस नोट-थाना रोजा
जनपद शाहजहाँपुर

112 आपात सेवाएं

सरहानीय कार्य दिनाँक 06.03.25

जनपदीय SWAT TEAM, सर्विलांस सेल एवं थाना रोजा की संयुक्त टीम द्वारा 25,000 रु0 के पुरस्कार घोषित वाँछित अभियुक्त को मय 05 अदद पीली धातु (वजन 9 ग्राम) एवं 12 अदद सफेद धातु (वजन 700 ग्राम) आदि सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर के नेतृत्व में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी में दिनांक 05.03.2025 को थाना रोजा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 19.12.2024 को वादी मुकदमा पवन वर्मा पुत्र प्यारे लाल ग्राम अटसलिया थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर मु0अ0सं0 750/2024 धारा 305,331(4) बनाम कुलदीप यादव आदि 05 नफर अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटना में दिनांक 21.12.2024 को अभियुक्त अभिषेक उर्फ चुंगला पुत्र लक्ष्मण नि0 ग्राम अटसलिया, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर को मय चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। घटना के पश्चात से ही अभियुक्त कुलदीप यादव उर्फ नाटी उपरोक्त दिनांक 19.12.2024 से बादस्तूर फरार चल रहा था, । अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा 25,000/- रुपये का पुरुस्कार घोषित किया गया था, अभियुक्त को दिनांक 05.03.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर अटसलिया पुल के पास से समय 22.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, जिसके कब्जे से 05 अदद पीली धातु (वजन 9 ग्राम) एवं 12 अदद सफेद धातु (वजन 700 ग्राम) बरामद हुआ। अभियुक्त कुलदीप यादव उर्फ नाटी उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

कुलदीप यादव उर्फ नाटी पुत्र नरेश, नि0 ग्राम अटसलिया, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवपण

मु0अ0सं0 750/2024 धारा 305,331(4) थाना रोजा,जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का दिनाँक समय व स्थान

दिनांक 05.03.2025 को रात्रि 22.30 बजे अटसलिया पुल के पास से, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

विवरण पूछताछ

कुलदीप यादव उर्फ नाटी उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब यह माल मैंने व मेरे ही गांव के अभिषेक उर्फ चुंगला के साथ मिलकर अपने ही गाँव के दिनेश के साले पवन वर्मा के घर से दिनांक 11.12.24 को चोरी किया था। पवन वर्मा का घर बन्द पडा था, बाहर ताला लगा था। हम लोगों ने ताला तोड़कर चोरी किये थे। हम दोनों लोगों ने चोरी का माल रात में ही गाँव के बाहर जाकर स्कूल के पास आपस में आधा-आधा बांट लिया था। अभिषेक उर्फ चुंगला अपने हिस्से का माल लेकर चला गया था, जिसे कुछ दिनों बाद पुलिस ने पकड़ लिया था। मैंने अपने हिस्से के माल को गाँव के बाहर एक बाग में जमीन में गाड़कर छिपा दिया था। मैं डर के कारण हरिद्वार चला गया था। अब कुछ मामला शान्त होने पर हरिद्वार से माल लेने आया था और माल को लेकर वापस हरिद्वार बेचने की फिराक में जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरणः-

05 अदद पीली धातु (वजन 9 ग्राम) एवं 12 अदद सफेद धातु (वजन 700 ग्राम)
एक अदद नाक की बडी नथ
एक अदद नाक की छोटी नथ
एक अदद कान का झाला
एक अदद कान का बाला
एक अदद नाक से कान की लटकन
12 अदद सफेद धातु कुल वजन 700 ग्राम .
एक अदद चप्पल
एक अदद हथफूल
एक अदद करदनी(आधा भाग)
एक अदद पायल 5. एक कटोरी
सात अदद छोटी पायल
दो अदद पुरानी बड़ी पायल
एक अदद बड़ी कटोरी(मुड़ी हुई)
दो अदद बच्चों के कंगन
एक अदद चम्मच
दो अदद सिक्का
सात अदद बिछिया

आपराधिक इतिहास

750/24 धारा 305/331(4)/317(2) बी.एन.एस., थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
मु0अ0सं0 684/24 धारा 305 बी.एन.एस., थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

SWAT TEAM

नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार
हे0का0 सुशील शर्मा
हे0का0 खालिद हुसैन
हे0का0 दिलीप
हे0का0 उदयवीर
हे0का0चा0 कपिल
का0 कमल

सर्विलांस सेल टीम

का0 प्रभात
का0 शिवम कुमार
का0 सचिन यादव

थाना रोजा पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
उ0नि0 श्री राजेश कुमार
का0 1859 प्रेमपाल सिंह
का0 1855 कुशलपाल सिंह